



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934

No. 538]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013

का.आ. 581(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1088(अ), तारीख 5 मई, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की थी, को एतद्वारा रद्द करती है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) उपभोक्ता शुल्क आधार पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 144.400 किमी. से 249.000 किमी. तक पुणे-शोलापुर सेक्शन को चार लेन का बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मैसर्स पुणे शोलापुर रोड डिवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के बीच 30-9-2009 को करार हुआ है और इस सविदा करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता शुल्क को विद्यमान दरों का 40 प्रतिशत कम कर दिये जाने के कारण स्टेण्ड एलोन ब्रिज का प्रचालन व्यवहार्य नहीं होगा।

[सं. भाराराप्र/13013/692/सीओ/12-13/जीसी-शोलापुर
(सिना रिवर ब्रिज)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 8th March, 2013

S.O. 581(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1088(E), dated 5th May, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) as a Concession Agreement has been entered between National Highway Authority of India and M/s. Pune Sholapur Road Development Company Limited, Mumbai (hereinafter referred to as the "Concessionaire") on 30-9-2009 for the Four laning of Pune-Solapur Section of National Highway No. 9 from km. 144.400 to km. 249.000 in the State of Maharashtra under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis and the Concessionaire will collect the user fee as per the contractual provisions. Besides, the operation of the standalone bridge will not be viable on account of reduction of user fee to 40% of the existing rates.

[No. NHAI/13013/692/CO/12-13/GC-Sholapur
(Sina River Bridge)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.